

पत्रांक-7/फा0-11-01/2012- 16709
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें
फाईलेरिया नियंत्रण, स्वास्थ्य भवन, सुल्तानगंज, पटना-6
संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सूची संलग्न)

पटना, दिनांक : 24-4-2012

विषय : मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0002-राष्ट्रीय फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम विपत्र कोड- N2210061010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-2013 में वेतन भत्तें तथा अन्य मदों में कुल ₹12,76,40,170/- (बारह करोड़ छिहत्तर लाख चालीस हजार एक सौ सत्तर रुपये) मात्र का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-2013 में वेतन भत्तें तथा अन्य मदों में कुल ₹12,76,40,170/- (बारह करोड़ छिहत्तर लाख चालीस हजार एक सौ सत्तर रुपये) मात्र का आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न) ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक-8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक-3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 तथा 4201वि0(2) दिनांक-12.04.2012 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी गैर योजना व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0002-राष्ट्रीय फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम विपत्र कोड-N2210061010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-2013 में आयोजना भिन्न में उपबन्धित राशि से की जायगी ।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ (फाईलेरिया नियंत्रण) बिहार, पटना तथा सम्बंधित जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे । इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र भी अंकित करेंगे ।

6. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

7. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।


20/4/2012

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. वित्त विभागीय पत्रांक- 3833/वि0(2) दिनांक-02.04.2012 में निहित निदेश के आलोक में इस आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2011-12 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है ।
10. यह मात्र आवंटन है । इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय । व्यय हेतु वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
11. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।
12. वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय ।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्थापना कर्मियों का वेतन भुगतान प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।
14. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 16(7)9

पटना, दिनांक : 24-4-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव

विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में बिहार स्थित फाइलेरिया नियंत्रण उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	विक्रिस्ता भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	यात्रा व्यय (11-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव (13-02)	दूरभाष (13-03)	विद्युत प्रभार (13-04)	विधि प्रभार (13-05)	वर्दी/पोषाक (13-06)	क्रियाया महशुल एवं कर (14-01)	सामग्री एवं प्रतियोगिता (21-01)	मशीने एवं उपकरण (52-01)	कुल
1	गया	2884000	1586200	288400	0	51912	51912	4862424	10000	7000	0	0	0	5000	1000	0	6000	3000	4894424
2	मोजपुर (बारा)	2060000	1133000	206000	0	37080	37080	3473160	10000	7000	0	0	0	5000	1000	0	6000	3000	3505160
3	नवादा	1442000	793100	144200	0	25956	25956	2431212	10000	7000	0	0	0	5000	1000	0	6000	3000	2463212
4	जहानाबाद	1442000	793100	144200	0	25956	25956	2431212	10000	7000	0	0	0	5000	1000	0	6000	3000	2463212
5	दरभंगा	3605000	1982750	360500	0	64890	64890	6078030	10000	7000	0	0	0	5000	1000	22000	6000	3000	6132030
6	छपरा, सारण	1234000	678700	123400	0	22212	22212	2080524	10000	7000	0	0	0	5000	1000	0	6000	3000	2112524
7	सीतामढ़ी	1235000	679250	123500	0	22230	22230	2082210	10000	7000	0	0	0	5000	1000	0	6000	3000	2114210
8	सहरसा	1854000	1019700	185400	0	33372	33372	3125844	10000	7000	0	0	0	5000	1000	0	6000	3000	3157844
9	समस्तीपुर	2060000	1133000	206000	0	37080	37080	3473160	10000	7000	0	0	0	5000	1000	0	6000	3000	3505160
10	रोहतास	2884000	1586200	288400	0	51912	51912	4862424	10000	7000	0	0	0	5000	1000	12000	6000	3000	4906424
11	पुर्णिया	1648000	906400	164800	0	29664	29664	2778528	10000	7000	0	0	0	5000	1000	0	6000	3000	2810528
12	पटना	25760000	14168000	2576000	100000	463680	463680	43531360	15000	9000	0	0	0	5000	6000	0	40000	4000	43610360
13	भागलपुर	2884000	1586200	288400	0	51912	51912	4862424	10000	7000	0	0	0	5000	1000	0	6000	3000	4894424
14	हालपुर, कैमाली	1648000	906400	164800	0	29664	29664	2778528	10000	7000	0	0	0	5000	1000	0	6000	3000	2810528
15	बिजन	1235000	679250	123500	0	22230	22230	2082210	10000	7000	0	0	0	5000	1000	0	6000	3000	2114210
16	बिहारशरीफ, नालन्दा	2884000	1586200	288400	0	51912	51912	4862424	10000	7000	0	0	0	5000	1000	7200	6000	3000	4901624
17	मुजफ्फरपुर	2369000	1302950	236900	0	42642	42642	3994134	10000	7000	0	0	0	5000	1000	0	6000	3000	4026134
18	मुंगेर	2884000	1586200	288400	0	51912	51912	4862424	10000	7000	0	0	0	5000	1000	8000	6000	3000	4894424
19	मोतिहारी, मुधुसगर	1854000	1019700	185400	0	33372	33372	3125844	10000	7000	0	0	0	5000	1000	0	6000	3000	3165844
20	मुजफ्फरी	3193000	1756150	319300	0	57474	57474	5383398	10000	7000	0	0	0	5000	1000	0	6000	3000	5415398
21	कटिहार	1235000	679250	123500	0	22230	22230	2082210	10000	7000	0	0	0	5000	1000	0	6000	3000	2114210
22	बेगुसराय	2266000	1246300	226600	0	40788	40788	3820476	10000	7000	0	0	0	5000	1000	0	6000	3000	3852476
23	बैतिया, पठ समारण	1235000	679250	123500	0	22230	22230	2082210	10000	7000	0	0	0	5000	1000	0	6000	3000	2114210
24	सहायक निदेशक, फाइलेरिया	3100000	1705000	310000	200000	55800	55800	5426600	15000	12000	45000	25000	15000	10000	5000	0	78000	30000	5661600
	कुल	74895000	411922250	7489500	3000000	1348110	1348110	126572970	250000	175000	45000	25000	15000	125000	33000	49200	250000	100000	127640170

(बारह करोड़ छिहत्तर लाख चालीस हजार एक सौ सत्तर) रु० मात्र

सरकार के संयुक्त सचिव

(Handwritten Signature)

16(F)A
24-4-12

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	वर्तमान आवंटित राशि	अवशेष राशि
	2	3	4	5
1	वेतन (01-01)	93529000	74895000	18634000
1	जीवन यापन भत्ता (01-03)	51441000	41192250	10248750
2	मकान किराया भत्ता (01-04)	9353000	7489500	1863500
3	परिवहन भत्ता (01-05)	433000	300000	133000
4	चिकित्सा भत्ता (01-06)	1707000	1348110	358890
5	अन्य भत्ता (01-07)	1752000	1348110	403890
6	योग वेतन एवं भत्ते:-	158215000	126572970	31642030
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	500000	0	500000
8	यात्रा व्यय (11-01)	500000	250000	250000
9	कार्यालय व्यय (13-01)	350000	175000	175000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (13-02)	90000	45000	45000
11	दूरभाष (13-03)	50000	25000	25000
12	विद्युत प्रभार (13-04)	30000	15000	15000
13	विधि प्रभार (13-05)	1000000	125000	875000
14	वर्दी / पोषाक (13-06)	66000	33000	33000
15	किराया महसूल एवं कर (14-01)	550000	49200	500800
16	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01)	500000	250000	250000
17	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27-02)	1000	0	1000
18	मशीने एवं उपस्कर (52-01)	200000	100000	100000
	कुल योग:-	162052000	127640170	34411830

Dr. J. K. Singh

सरकार के संयुक्त सचिव

16 (F) 20
24-4-12